



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032026-271429
CG-DL-E-30032026-271429

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1594]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 2026/चैत्र 9, 1948

No. 1594]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 2026/CHAITRA 9, 1948

वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2026

का.आ. 1659(अ).— आयकर नियमावली, 1962 के नियम 5ग और 5घ के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार 'भारतीय रबर सामग्री अनुसंधान संस्थान', (पैन:AAAAT7089F), थाणे, महाराष्ट्र को आयकर नियमावली, 1962 के नियम 5ग और 5घ के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनार्थ 'अनुसंधान संघ' की श्रेणी के अंतर्गत 'वैज्ञानिक अनुसंधान' हेतु अनुमोदित करती है।

2. यह अधिसूचना मूल्यांकन वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन लागू होगी।

(i) 'भारतीय रबर सामग्री अनुसंधान संस्थान', थाणे, महाराष्ट्र को आयकर अधिनियम, 1962 के नियम 5घ में निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना होगा।

(ii) 'भारतीय रबर सामग्री अनुसंधान संस्थान', थाणे, महाराष्ट्र अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1क) के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रपत्र संख्या 10खघ में निर्धारित विवरण तैयार करेगा और उक्त निर्धारित आयकर प्राधिकारी या

ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को उक्त प्रपत्र में, ऐसे तरीके से सत्यापित, ऐसे विवरणों को प्रस्तुत करते हुए, उस वित्तीय वर्ष के तुरंत बाद आने वाली 31 मई को या उससे पहले, जिसमें दान प्राप्त हुआ है, आयकर अधिनियम, 1962 के नियम 18कख में निर्धारित अनुसार प्रस्तुत करेगा या प्रस्तुत करवाएगा।

बशर्ते कि ऐसा विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1क) के तहत दिए गए विवरण में किसी भी गलती को सुधारने या उसमें जानकारी जोड़ने, हटाने या अद्यतन करने के लिए निर्धारित प्राधिकारी को एक सुधार विवरण भी प्रस्तुत कर सकती है।

(iii) 'भारतीय रबर सामग्री अनुसंधान संस्थान', थाणे, महाराष्ट्र दानकर्ता को प्रपत्र संख्या 10खग में एक प्रमाण पत्र प्रदान करेगा, जिसमें दान की राशि का विवरण, विवरण और राशि प्राप्त होने की तिथि से निर्धारित समय के भीतर दिया जाएगा, जैसा कि आयकर अधिनियम, 1962 के नियम 18कख में निर्धारित है।

[अधिसूचना सं. 43/2026/फा. सं. 203/11/2025/ITA-II]

इंदु बाला, उप सचिव